



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3007 वर्ष 2026

यशपाल सिंह
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	संतोष कुमार
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अध्ययन किया।
2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है कि प्रतिवादी को गलिबपुर गांव, तहसील और परगना, देबाई, जिला बुलंदशहर में स्थित भूखंड संख्या 583 (लगभग 0.2151 हेक्टेयर) और 623 (लगभग 0.3100 हेक्टेयर) का मापन/सीमांकन करने का निर्देश दिया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता माप/सीमांकन चाहता है, तो याचिकाकर्ता के पास यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय है।
4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"